अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव: जनपद बागेश्वर प्रमुख संदर्भ में

डॉ0 दीपक*

सारांश

*''गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के बाद जिस राम राज्य की कल्पना की थी उसकी प्राप्ति हेतु हमने पंचायती राज के द्वारा ग्रामीण भारत के उत्थान हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बेहतर परिणाम प्राप्त किये जा सकें ग्राम स्वरोजगार, सर्वोदय अन्त्योदय जैसी अवधारणाओं का उदय हुआ परिणाम इसके ठीक विपरीत हुआ। आज हम अपना कोई अलग मॉडल बनाने के बजाय पाश्चात्य अर्थव्यवस्था की नकल करते हुए ऐसी आर्थिक असमानता पूर्ण समाज में जीवन यापन कर रहे हैं। जहाँ गरीब और अमीर की खाई चौड़ी ही नहीं बल्कि गहरी भी होती जा रही है। प्रस्तुत शोध पत्र में अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु संचालित प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव जनपद बागेश्वर के विशेष संदर्भ में देखा गया है सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक विशेष वर्ग एवं लोगों तक ही सीमित रह गया है जरूरत मंद लोग आज भी इससे वंचित हैं। कल्याण की यह अवधारण **जेरमी बेंथम** (1748–1832) के उपयोगितावाद से प्रारम्भ होकर **एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल** तथा **मार्शल** तक बढ़ती रही कार्ल मेंजर ने भी कल्याण को अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय माना है। ए0 सी0 पीगू ने **वेल्थ एण्ड वैल्फेयर** (1912) नामक पुस्तक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचार को प्रस्तुत किया। पीगू के अनुसार, ''समाज कल्याण व्यक्तिगत कल्याणों का योग है, जो व्यक्तिगत सन्तुष्टियों और असन्तुष्टियों के सन्तुलन पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत कल्याणों का माप उन निर्णयों पर हो सकता है जिनको मौद्रिक भुगतानों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।''*

अध्ययन क्षेत्र का चयन :

शोध के लिए उत्तराखण्ड के जनपद बागेश्वर के दो विकासखण्ड, बागेश्वर जिसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, विद्युत, परिवहन एवं यातायात, संचार, बैंकिंग एवं बीमा तथा अन्य सुविधाएं अच्छी हैं। इसके अलावा भूमि, कृषि, वनसम्पदा, जल संसाधन, पशुधन तथा श्रमशक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, को विकसित व विकासखण्ड गरूड़ जिसमें आधारभूत संरचनाऐं पिछड़ी तथा अल्पविकसित अवस्था में हैं, को कम विकसित का चयन किया गया है।

समंकों का संकलन :

प्राथमिक समंकों का संकलन वर्ष 2014 के अप्रैल–मई माह में प्रश्नावली के द्वारा किया गया जो अध्ययन क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित है। अनुसूची तथा पारिवारिक अनुसूची के रूप में प्रत्येक विकासखण्ड से अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आधार पर 5–5 ग्रामों का चयन अध्ययन के लिए किया गया। प्रत्येक गाँव से 30–30 न्यादर्श कुल 300 परिवारों को स्तरित निर्देशन जो उच्च परिवार, मध्यम तथा निम्न परिवारों को आय के आधार पर विभाजित कर उनका अध्ययन किया गया।

द्वितीयक समंकों एवं सम्बन्धित सूचनाओं को विकासखण्ड कार्यालय, मुख्य विकास कार्यालय, उप विकास आयुक्त, बैंक, तहसील व पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य :

- कल्याणकारी योजनाओं का अनुसूचित जाति पर प्रभावों का अध्ययन करना।
- संचालित योजनाओं के बारे में जनता को ज्ञान है या नही उन कारणों का पता लगाना।

सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन कल्याणकारी योजनाओं में अधिकांश योजनाओं का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

*अर्थशास्त्र विभाग, डी.एस.बी. परिसर नैनीताल

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाएं :

जनपद बागेश्वर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए संचालित की जा रही है जिनके माध्यम से पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों के रहन सहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके कुछ महत्त्वपूर्ण चयनित योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के अभिभावक की मासिक आय सीमा में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु शासकीय, अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों तथा आई.टी.आई. कक्षाओं में तीन स्तरों कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना के लाभ हेतु मुख्य रूप से पात्रताएँ आवश्यक हैं। इसके लिए छात्र छात्राएं राज्य में संचालित शासकीय, अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत् हो, विगत वर्षों की कक्षा में उत्तीर्ण रहा अथवा रही हो, किसी को अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत् सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्राविधान है। कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अभिभावक के आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं हो, छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में ही आवेदन करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मई तथा नये प्रवेश की स्थिति में 31 जुलाई निर्धारित की गई हैं, प्रत्येक विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु समिति गठित है। छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति समस्त पात्र छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर छात्रवृत्ति स्वीकृति सूची खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यालय के छात्रवृत्ति संयुक्त खाते जिला संचालन प्रधानाध्यापक तथा संस्था एक अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है तथा बाद में विद्यार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाती हैं। कक्षा 9 से 10 तक की कक्षाओं में माता, पिता तथा अभिभावक की आय की अधिकतम सीमा 2,00,000 रूपये वार्षिक हो। कक्षा 1 से 8 एवं आई.टी.आई. छात्रवृत्ति की दरें जो वर्ष 2005–06 से प्रभावी हैं। वे इस प्रकार से हैं– कक्षा 1 से 5 तक रूपये 50 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रूपये 80 प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 10 की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा संचालित वर्ष 2011–12 से की जा रही है, जिसमें डेस्कालर को रूपये 150 प्रतिमाह एवं हास्टलर रूपये 350 प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को रूपये 750 एवं हास्टलर को रूपये 1000 वार्षिक दिये जाने का प्राविधान है। सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके नाम से बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खुले खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

जनपद बागेश्वर में इस योजना के अन्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के माता, पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रूपये से कम होनी चाहिए। अनेक कक्षाओं एवं व्यावसायिक कोर्सों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति कुछ मानकों के अनुसार छात्र तथा छात्राओं को प्रदान की जाती है, वह उत्तराखण्ड राज्य का निवासी छात्र छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय, तकनीकी विद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सकीय एवं प्रबन्ध संस्थाओं में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत् हो, विगत् वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण रहा या रही हो, वर्तमान कोर्स से पूर्व कोई व्यावसायिक कोर्स न किया हो, किसी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो, छात्रवृत्ति उनको अनुमन्य होगी जिनके माता, पिता तथा अभिभावक की वार्षिक आय 250000 रूपये तक हो, छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने के लिए, पात्र होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि संबंधित छात्र/छात्रा में नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी.बी.एस. एकाउण्ट में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, छात्रवृत्ति केवल प्रवेश की तिथि से पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा के माह तक (पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश माह की 20 तारीख के बाद हुआ है, तो छात्रवृत्ति अगले माह से अनुमन्य होगी।) कक्षा 12 से ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश के अन्दर एवं बाहर के विश्वविद्यालयों, मेडिकल संस्थानों, इंजीनियरिंग संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक कॉलेजों आदि में अध्ययनरत् ऐसे छात्र/छात्रा ऑनलाईन ई–स्कालरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे। कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति की इजिस्टाइस्ड की सूची सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा तैयार की जाएगी, इस इजिस्टाइस्ड को सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्तर से समाज कल्याण की वेबसाइट पर अपलोड कर सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

प्रधानाचार्य द्वारा छात्रवृत्ति सूची की हार्ड कॉपी अपने हस्ताक्षर एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के साथ सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के जाँचोपरान्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के वितरण हेतु शासन द्वारा निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सर्वप्रथम शासकीय तथा उसके बाद मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वितरित की जाती है। योजना के अन्तर्गत कक्षा 11 व 12 तथा व्यावसायिक कोर्सों के छात्र/छात्राओं को 230 व 550 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति पुत्री की शादी व बीमारी इलाज योजना :

यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं उनके बीमारी के इलाज हेतु वर्ष 1982 से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। योजना में अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए धनराशि प्रदान की जाती है तथा बीमारी की स्थिति में बीमारी के स्वरूपानुसार आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के लिए परिवार बी.पी.एल. अथवा अन्त्योदय कार्ड धारक हो, गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले परिवार जिनकी आय सीमा 15000 रूपये वार्षिक, वर एवं वधू की परिवार रजिस्टर की नकल, शादी कार्य एवं विवाह प्रमाण पत्र प्रधान से, बी.पी.एल. आवेदनकर्त्ता को बी.पी.एल. साक्ष्य के रूप में बी.पी.एल. कार्ड अथवा बी.पी.एल क्रमांक का विवरण आवश्यक रूप से दिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में अन्य कोई साक्ष्य मान्य नहीं होगा, निर्धारित आवेदन पत्र पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति हो पात्रता होनी आवश्यक है।

योजना के अन्तर्गत दो पुत्रियों की शादी के लिए एकमुश्त 50,000–50,000 हजार रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वर्ष 2013–14 से दी जाती है, तथा बीमारी के ईलाज हेतु 10,000 रूपये तक अथवा बीमारी के स्वरूपानुसार आर्थिक सहायता की धनराशि प्रदान की जाती है। पूर्व में यह धनराशि रु0 20,000 शादी के लिए तथा रु0 2000 गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु दी जाती थी। सभी पात्र लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान उनके नाम से खोले गये बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खोले गये खातों के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

अटल आवास योजना :

अटल आवास योजना वर्ष 2008–09 से संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के आवास विहीन व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संचालित है। अटल आवास योजना के लिए लाभार्थी अनुसूचित जाति आवास विहीन परिवार का होना अनिवार्य है, स्वयं की भूमि होने का प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त होना चाहिए, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवास विहीन होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना तथा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो, वार्षिक आय 32,000 रूपये से अधिक न हो, लाभार्थी के नाम स्वयं की भूमि होनी चाहिए, आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त, तथा बी.पी.एल. कार्ड खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना चाहिए। अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों जो बी.पी.एल. अथवा जिनकी आय 32,000 रूपये वार्षिक हो को आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 रूपये तथा मैदानी क्षेत्रों में 35,000 रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किये जाते है। इस योजना में लाभार्थियों को बैंक में खाता खोलना पड़ता है जिससे लाभार्थियों के खाते में योजना की समस्त धनराशि सीधे उनके बैंक खाता में पहुँच जाती है।

गौरादेवी कन्याधन योजना अनुसूचित जाति :

जनपद बागेश्वर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य जातियों की भाँति ही अनुसूचित जाति की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गौरादेवी कन्याधन योजना का संचालन वर्ष 2006–07 से किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की बालिकाओं को छात्रवृत्ति राज्य अथवा केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय या बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है। गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को सामान्य वर्ग के भांति ही निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी आवश्यक है। जैसे लाभार्थी बी.पी.एल. परिवार तथा अविवाहित होनी चाहिए, माता, पिता, अथवा अभिभावक जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 15,976 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 21,206 रूपये होनी चाहिए, आय का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो के आधार पर मान्य होगा संलग्न करना अनिवार्य है, प्रदेश में स्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के अधीन किसी विद्यालय से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, योजना के लिए लाभार्थी की आयु अनुदान स्वीकृत होने के वर्ष की 1 जुलाई को अधिकतम

आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, योजना के अन्तर्गत संस्थागत तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के छात्राएं पात्र होंगी, पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से सेवायोजित छात्रा इस सुविधा हेतु अर्ह नहीं होगी, एक दम्पत्ति की अधिकतम 2 पुत्रियों को ही योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवारों के लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ओर से एकमुश्त प्रोत्साहित धनराशि रु 50,000 के रूप में प्रदान की जाती है। गौरादेवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाली धनराशि लाभार्थियों को एन.एस.सी. अथवा भारतीय स्टेट बैंक के फिक्स डिपोजिट के रूप में दी जाती है।

अस्वच्छ पेशा चमड़ा उतारने, चमड़ा बनाने तथा मैला उठाने में लगे व्यक्तियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति :

केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत पुरोधानित यह विशेष योजना वर्ष 1977–78 से संचालित है। वर्ष 1991–92 से पूर्व इसमें केवल 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्र के छात्रावास में रहने पर लाभान्वित किया जाता था। इस योजना में अभिभावकों, माता और पिता की आय सीमा समाप्त कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा अब इस योजना की प्रक्रिया की दरों में संशोधन कर दिया गया है। जो 1 अप्रैल 2008 से प्रभावी है। छात्रवृत्ति की स्वीकृति अथवा भुगतान की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृत्ति के अनुसार ही विद्यालय द्वारा अपनायी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें आवासीय छात्रों के लिए – कक्षा 3 से 10 तक रु 7000 प्रतिमाह, 10 माह हेतु तथा अनिवासीय छात्रों के लिए – कक्षा 1 से 2 तक रु 110 प्रतिमाह, 10 माह हेतु। कक्षा 3 से 10 तक रु 110 प्रतिमाह, 10 माह हेतु। इनके अतिरिक्त आवासीय छात्रों को रु 1000 तथा अनावासीय छात्रों को रु 750 प्रतिवर्ष तदर्थ अनुदान दिये जाने की व्यवस्था नवीन प्रस्तावित योजना में भारत सरकार द्वारा कर दी गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना :

अनुसूचित जाति के मेधावी किन्तु सुविधा विहीन छात्र और छात्रा को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की पूर्ति हेतु कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष की रीमेडियल कोचिंग प्रदान कर उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शत् प्रतिशत सहायतित यह योजना उत्तराखण्ड के पौड़ी एवं नैनीताल के राजकीय इण्टर कालेज में वर्ष 1988–89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थी जो वर्ष 1994–95 में समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित की गई। इस योजना का संचालन वर्तमान में पौड़ी में हो रहा है। तथा योजना को उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रु 8000 वार्षिक तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं विषय विशेषज्ञों को शिक्षण हेतु रु 7000 वार्षिक दिये जाने का प्राविधान है।

पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षति पूर्ति योजना :

इस योजना में मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को जो आर्थिक क्षति होती है उस कमी को विभाग द्वारा शुल्क क्षति पूर्ति प्रदान करके पूरा किया जा रहा है। योजना में निम्न शुल्को की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। (प) ट्यूशन (पप) खेल (पपप) चिकित्सा (पअ) पुस्तकालय (अ) इन्स्ट्रमेन्ट एजुकेशन (अप) स्याही (अपप) ऑडियो विजुअल (अपपप) मैग्जीन (पग) विज्ञान (ग) महँगाई (गप) विकास शुल्क (गपप) पंखा ।

हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की अन्तिम परीक्षा से पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवस्था :

अनुसूचित जाति के छात्रों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में माह सितम्बर से फरवरी माह तक विशेष कोचिंग देने की योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में की जा रही है। इसके अन्तर्गत 10वीं कक्षा के अध्यापकों को रूपये 200 तथा 12वीं के अध्यापकों को 300 रु की दर से मानदेय के रूप में दिया जाता है। उक्त केन्द्र अधिकतर राजकीय इण्टर कालेजों तथा प्रायः मुख्यालय तथा तहसील स्तर पर संचालित किये जा रहे है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें :

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते हैं और विद्यालय को संचालित कर शिक्षा देते है, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है, ऐसी संस्थाएँ जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों अथवा पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें भी अनुदान दिया जाता है। अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार समतुल्य वेतन की धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों तथा पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि अपवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती हैं।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को सिविल एवं राज्य सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना :

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के बाद यहाँ के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए इस राज्य में भी एक ऐसे ही परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की आवश्यकता अनुभव की गई है जिसमें निर्धन अनुसूचित जाति के मेधावी नवयुवकों को प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से चरणबद्ध कोचिंग की व्यवस्था हो। आई.ए.एस. तथा पी.सी.एस. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में देय छात्रवृत्ति की दरें निम्न हैं – (अ) कोचिंग प्राप्त करने वाले स्थानीय छात्रों के लिए 750 रु प्रतिमाह। (ब) कोचिंग प्राप्त करने वाले बाहरी छात्रों के लिए 1500 रु प्रतिमाह।

अनुसूचित जातियों हेतु आई.टी.आई. की स्थापना :

अनुसूचित जाति के छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु स्थान कमेड़ी बागेश्वर में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जिनमें फीटर, इलैक्ट्रीशियन, कोपा अथवा कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्तमान में उक्त सस्थान में 98 प्रशिक्षणार्थी अध्ययनरत् हैं।

आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन :

प्रदेश में अनुसूचित जाति बालक अथवा बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तथा अत्यन्त निर्धन है, के बच्चों को प्रवेश मिलता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के बालकों हेतु 6 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है। जनपद बागेश्वर में निराश्रित बालिकाओं हेतु भी एक राजकीय बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा हेतु संचालित है। वर्तमान में उक्त विद्यालय में 31 संवासी निवासरत् है।

अनुसूचित जाति उपयोजना :

इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गाँवों में आधारभूत सुविधाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनायें जिला स्तर पर बनी कमेटी द्वारा स्वीकृत की जाती है। ग्राम पंचायत 5 लाख रु तक के कार्य को सम्बन्धित न्याय पंचायत में करती है।

अनुसूचित जाति बालक तथा बालिका हेतु छात्रावास :

अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में एक छात्रावास का संचालन किया गया हैं, जिसकी क्षमता 50 है तथा महिलाओं हेतु राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर में निर्माणधीन है।

मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति :

यह योजना 1944–45 में कार्यान्वित की गई थी ताकि मैट्रिक के बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्चतर शिक्षा दी जा सके दसवीं योजना 2006–07 में 29.59 लाख विद्यार्थियों के लिए रु 1822.25 करोड़ की धनराशि उपयोग में ली गई।

मैट्रिक से पूर्व छात्रवृत्ति :

यह छात्रवृत्ति 1977–78 में उनके बच्चों के लिए दी जा रही है, जो मैला साफ करने का काम करते हैं और घरो का काम करते है। ताकि उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अनुसूचित जाति के लिए मेरिट उन्नयन स्कीम :

यह योजना 1987–88 से लागू की गई ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्री–मैट्रिक एवं विशेष कोचिंग देकर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत स्कूली विषयों (कक्षा 11 से 12 तक) में उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके।

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति (फेलोशिप) :

यह स्कीम विशेष प्रोत्साहन के रूप में 2005–06 में दसवीं योजना से शुरू की गई ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान डिग्रियाँ जैसे– एम. फिल एवं पी–एच.डी. प्राप्त कर सके। उपरोक्त सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ निर्धन एवं गरीब वर्ग के सहायतार्थ सरकार द्वारा समाज के उत्थान हेतु संचालित की गई है। इसका एकमात्र उद्देश्य निर्धन, पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना एवं सामाजिक चेतना के साथ उनका आर्थिक उन्नयन भी है।

कल्याणकारी योजनाओं का प्राथमिक स्तर पर अध्ययन :

अध्ययन के लिए कुछ योजनाओं का निश्चित अध्ययन समीचीन होगा। अटल आवास योजना, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का विस्तार में अध्ययन किया गया हैं। इन्हें तालिका संख्या 1 में दिखाया गया है।

तालिका : 1

विकासखण्ड बागेश्वर व गरूड़ में संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित न्यादर्श परिवारों की संख्या

क्र.सं.	न्यादर्श गाँव	न्यादर्श परिवारों की संख्या	अटल आवास योजना विकासखण्ड बागेश्वर			
			लाभार्थी			लाभार्थी
1	मेहनरबूँगा	30	–	30	–	30
2	मगरूपहरी	30	3 (2.00)	30	3 (2.00)	30
3	भतरोला	30	2 (1.33)	30	2 (1.33)	30
4	सिमस्यारी	30	1 (0.66)	30	1 (0.66)	30
5	ओखली सिरोत	30	–	30	–	30
योग			150	6 (4.00)	150	6 (4.00)
विकासखण्ड गरूड़						
1	अमोली	30	3 (2.00)	4 (2.66)	2 (1.34)	21 (14.00)
2	बिमोला	30	5 (3.33)	3 (2.00)	3 (2.00)	19 (12.67)
3	दुदीला	30	–	4 (2.66)	8 (5.33)	18 (12.00)
4	पोखरी	30	–	7 (4.67)	6 (4.00))	17 (11.33)
5	उड़खुली	30	–	4 (2.66)	7 (4.67)	19 (12.67)
योग		150	8 (5.33)	22 (14.67)	26 (17.33)	94 (62.67)
कुल दोनों विकासखण्डों का योग		**300**	**14**	**61**	**91**	**134**

स्रोत : प्राथमिक सर्वे वर्ष 2014 पर आधारित।

आवास योजना :

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम से संचालित यह योजना ग्रामीण आवासहीन लोगों के लिए आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग इस योजना से लाभान्वित हैं। अटल आवास योजना से लाभान्वित परिवारों को तालिका 2 में स्पष्ट किया गया है। विकासखण्ड बागेश्वर के न्यादर्श गाँवों के कुल 150 परिवारों में से केवल 6 परिवार अटल आवास योजना से लाभान्वित हैं। सर्वेक्षण के दौरान 40 ऐसे परिवार हैं जो इस योजना से लाभान्वित नही हो सकते, क्योंकि उनके पास वे अर्हताएँ नहीं हैं, जिससे वे इस योजना से लाभान्वित हो सके। 39 परिवार ऐसे हैं जिनको योजना के बारे में जानकारी नहीं है। जो कुल परिवारों का 26 प्रतिशत है। केवल 4 प्रतिशत लोग ही इस योजना से लाभान्वित हैं। जिन परिवारों को योजना के बारे में जानकारी है, उनकी कुल संख्या 65 है जो कुल का 43.33 प्रतिशत है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिला। सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि जिन परिवारों को पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाएँ जैसे इन्दिरा आवास, दीनदयाल उपाध्याय आदि योजना से लाभान्वित हुए है, वे इस योजना से लाभान्वित नहीं होंगे, जबकि उन्हें

उन योजनाओं से लाभ काफी वर्ष पूर्व लगभग 20 से 25 वर्ष पहले मिला है। आज उनके मकानों की स्थिति अत्यन्त खराब व जीर्ण–क्षीर्ण हो चुकी है।

तालिका : 2

विकासखण्ड बागेश्वर व गरूड़ में संचालित अटल आवास योजना से लाभान्वित न्यादर्श परिवार :

क्र. सं	न्यादर्श गाँव	न्यादर्श परिवार	विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ विकासखण्ड बागेश्वर		
			अटल आवास	अनु0जाति छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक	अनु0जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति
1	मेहनरबूँगा	30	–	मेहनरबूँगा	30
2	मगरूपहरी	30	3	मगरूपहरी	30
3	भतरोला	30	2	भतरोला	30
4	सिमस्यारी	30	1	सिमस्यारी	30
5	ओखली सिरोत	30	–	ओखली सिरोत	30
योग		150	6	102	48
विकासखण्ड गरूड़					
1	अमोली	30	3	29	12
2	बिमोला	30	5	26	13
3	दुदीला	30	–	21	2
4	पोखरी	30	–	27	1
5	उड़खुली	30	–	26	1
योग		150	8	129	29
कुल दोनों विकासखण्डों का योग		**300**	**14**	**231**	**77**

स्रोत : प्राथमिक सर्वे वर्ष 2014 पर आधारित। (नोट– कोष्ठक में प्रतिशत को दिखाया गया है।)

विकासखण्ड बागेश्वर में सर्वेक्षित दो गाँव क्रमशः मेहनरबूँगा तथा ओखली सिरोत जिनमें इस योजना के अन्तर्गत कोई भी परिवार लाभान्वित नहीं हुआ है। जिसका प्रमुख कारण यहाँ के लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं है और जिन लोगो को जानकारी है भी उन लोगों द्वारा कागजी कार्यवाही करने के बावजूद योजना का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ रहा है। सर्वेक्षित गाँव मगरूपहरी, भतरोला, सिमस्यारी ये सभी मुख्यालय के नजदीक होने के कारण यहा क्रमशः 3, 2 तथा 1 परिवार ऐसे हैं। जो इस योजना से लाभान्वित है। जिनका प्रतिशत कुल का 21.42, 14.28 तथा 7.14 हैं।

तालिका संख्या 2 में जनपद के विकासखण्ड गरूड़ के अन्तर्गत सर्वेक्षित गाँवों में अटल आवास योजना से लाभान्वित कुल 8 परिवार ऐसे है जो इस योजना से लाभान्वित है। सर्वेक्षण के दौरान कई परिवार ऐसे थे, जो इस योजना से लाभान्वित हो सकते थे, लेकिन उनके पास जानकारी न होने के कारण वे योजना से लाभान्वित नही हो पाये।

विकासखण्ड गरूड़ में दुदीला, पोखरी तथा उड़खुली ऐसे गाँव है। जो मुख्यालय से काफी दूर 20 से 40 किमी0 हैं, अटल आवास योजना से लाभान्वित नहीं है। अमोली तथा बिमोला में क्रमशः 3 से 5 लोग योजना से लाभान्वित हैं जिसका प्रतिशत 2.00 तथा 3.33 हैं। यह स्पष्ट है कि इस योजना से बहुत कम लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है।

अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना :

इस कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें सरकार लगभग सफल भी हुई है। जिसे तालिका 3 में स्पष्ट किया गया है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विकासखण्ड बागेश्वर के सर्वेक्षित गाँव में कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या 102 है, जो कुल का 68 प्रतिशत है। जिनमें मेहनरबूँगा तथा मगरूपहरी दो गाँवों में सबसे ज्यादा 23 तथा 22 परिवार लाभान्वित हुए है। जिनका प्रतिशत क्रमशः कुल का 15.33 तथा 14.67 है। इसका कारण इन गाँवों के परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ज्यादा अध्ययनरत् है, जिससे इनकी संख्या अन्य से अधिक है। केवल 2 परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ इसका कारण पूछने पर उन्होनें इस विषय पर मौन साध लिया और कुछ नहीं बताया ये कहा गया कि छात्रवृत्ति ही नहीं आई। अन्य सर्वेक्षित गाँव भतरोला, सिमस्यारी तथा ओखली सिरोत में 30–30 परिवारों में से 19, 20, 18 परिवार लाभान्वित हुए है।

तालिका : 3

विकासखण्ड बागेश्वर व गरूड़ में संचालित अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित न्यादर्श परिवार %

क्र. सं	न्यादर्श गाँव	न्यादर्श परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना विकासखण्ड बागेश्वर		
			लाभार्थी	लाभार्थी	लाभार्थी
1	मेहनरबूँगा	30	23 (15.33)	–	7 (4.66)
2	मगरूपहरी	30	22 (14.67)	–	8 (5.33)
3	भतरोला	30	19 (12.67)	–	11 (7.33)
4	सिमस्यारी	30	20 (13.33)	2 (1.33)	8 (5.33)
5	ओखली सिरोत	30	18 (12.00)	–	12 (8.00)
	योग	150	102 (68.00)	2 (1.33)	46 (30.66)
	विकासखण्ड गरूड़				
1	अमोली	30	29 (19.33)	–	1 (0.66)
2	बिमोला	30	26 (17.33)	–	4 (2.67)
3	दुदीला	30	21 (14.00)	–	9 (6.00)
4	पोखरी	30	27 (18.00)	–	3 (2.00)
5	उड़खुली	30	26 (17.33)	–	4 (2.67)
	योग	150	129 (86.00)	–	21 (14.00)
कुल दोनों विकासखण्डों का योग		**300**	**231**	**2**	**76**

स्रोत : प्राथमिक सर्वे वर्ष 2014 पर आधारित। (नोट– कोष्ठक में प्रतिशत को दिखाया गया है।)

अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विकासखण्ड गरूड़ के सर्वेक्षित गाँव में कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या 129 है इस योजना से लाभान्वित हुए सर्वाधिक लोग अमोली गाँव में हैं। यहाँ 29 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं जबकि बिमोला तथा उड़खुली में 26 तथा 20 परिवार लाभान्वित हुए हैं। दुदीला और पोखरी में 21 और 27 परिवार लाभान्वित हुए हैं। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि इस योजना से शत् प्रतिशत लोग लाभ ले रहें हैं।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :

सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत उन्हें 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति दशमोत्तर के अन्तर्गत विकासखण्ड बागेश्वर में सर्वेक्षित गाँवों के कुल 48 परिवार लाभान्वित हुए है, जो कुल परिवारो का 32.00 प्रतिशत हैं। जिनमें सबसे अधिक मेहनरबूँगा गाँव लाभान्वित हुआ है। इस गाँव में 14 परिवार लाभ ले रहे है। इसे तालिका 4 में स्पष्ट किया गया है। उसके बाद क्रमशः मगरूपहरी, भतरोला, सिमस्यारी तथा ओखली सिरोत 10, 9, 8, 7 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इसका कारण इन गाँवों में हाईस्कूल के बाद अधिकांश छात्र छात्राएँ गरीबी के कारण विद्यालय जाना ही छोड़ देते हैं अथवा व्यक्तिगत छात्र छात्रा के रूप में अध्ययन करते हैं।

तालिका : 4

विकासखण्ड बागेश्वर व गरूड़ में संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित न्यादर्श परिवार :

क्र. सं.	न्यादर्श गाँव	न्यादर्श परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना विकासखण्ड बागेश्वर		
			लाभार्थी	लाभ प्राप्त नहीं हुआ	गैर लाभार्थी
1	मेहनरबूँगा	30	14 (9.33)	1 (0.66)	15 (10.00)
2	मगरूपहरी	30	10 (6.67)	2 (1.33)	18 (12.00)
3	भतरोला	30	9 (6.00)	4 (2.66)	17 (11.33)
4	सिमस्यारी	30	8 (5.33)	3 (2.00)	19 (12.67)
5	ओखली सिरोत	30	7 (4.67)	5 (3.33)	18 (12.00)
योग		150	48 (32.00)	15 (10.00)	87 (58.00)
विकासखण्ड गरूड़					
1	अमोली	30	12 (8.00)	3 (2.00)	15 (10.00)
2	बिमोला	30	13 (8.66)	1 (0.66)	16 (12.00)
3	दुदीला	30	2 (1.33)	6 (4.00)	22 (14.67)
4	पोखरी	30	1 (0.66)	3 (2.00)	26 (17.33)
5	उड़खुली	30	1 (0.66)	6 (4.00)	23 (15.33)
योग		150	29 (19.33)	19 (12.66)	102 (68.00)
कुल दोनों विकासखण्डों का योग		**300**	**77**	**34**	**189**

स्रोत : प्राथमिक सर्वे वर्ष 2014 पर आधारित। (नोट– कोष्ठक में प्रतिशत को दिखाया गया है।)

मेहनरबूँगा, मगरूपहरी, भतरोला, सिमस्यारी तथा ओखली सिरोत जिन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हैं। उन्हें उपरोक्त तालिका 4 में दिखाया गया है जो कि कुल परिवारों का 10 प्रतिशत है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि जिन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ उन परिवारों द्वारा समय पर आवेदन सम्बन्धी दस्तावेजों को वे पूरा नहीं कर पा रहें है जिससे वे लाभ से वंचित रह गये क्योंकि आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र तहसील से बनाये जाते है जिसे वे समय से प्राप्त नहीं कर पाते है। अधिकारियों द्वारा बार–बार उन्हें वापस भेज दिया जाता है।

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार द्वारा किया गया यह प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा है। अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति दशमोत्तर के अन्तर्गत गरूड़ विकासखण्ड में सर्वेक्षित गाँवों के कुल 29 परिवार लाभान्वित हुए हैं। विकासखण्ड गरूड़ जिनमें सबसे अधिक बिमौला गाँव लाभान्वित हुआ है। इस गाँव में 13 परिवार लाभ ले रहे है। उसके बाद अमौली दुदीला गाँव आते है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस योजना के लिए पात्र विद्यार्थी नही पाये गए क्योंकि 10वीं के बाद वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाये, जिसका मुख्य कारण अवसरों का लाभ न लेने की प्रवृत्ति अथवा गरीबी रही है।

निष्कर्ष :

जनपद बागेश्वर के दो विकासखण्डों के सर्वेक्षण से पूरे जनपद की 'कल्याणकारी योजनाओं के अनुसूचित जाति पर प्रभावों' की स्थिति के सम्बन्ध में कामोवेश एक समान धारणा स्पष्ट होती है। सरकार द्वारा कल्याण के लिये सैद्धान्तिक एवं बुनियादी सोच बहुत ही उचित एवं महत्त्वपूर्ण है, किन्तु व्यावहारिक स्तर पर इस सम्बन्ध में कटु अनुभवों का अम्बार लगा हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत विभाग, लोक उपक्रम तथा अन्य प्रशासनिक अभिकरणों के द्वारा असंख्य विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। अतः नीति कानून तथा योजना निर्माण तथा दिशा निर्देशों का अधिकार भी यही संस्थाएं अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि जो धन उपलब्ध करवाता है। वह

स्वाभाविक रूप से शर्ते भी थोपता है। आर्थिक नियोजन का महत्त्व विधि तथा सिद्धान्त शासक के प्रत्येक स्तर पर प्रभावी ढंग से समझे जाय तथा लागू भी हो सके, ताकि लोग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप हो सके।

जनपद बागेश्वर में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये चलाई जा रही योजनाओं का प्रभाव असफल रहा है। योजनाओं का दोषपूर्ण क्रियान्वयन सामाजिक जागरूकता का अभाव और भ्रष्टाचार इन कार्यक्रमों की असफलता का प्रमुख कारण रहा है।

योजनाओं में जो अर्हताएं हैं, वे लोग पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुख्य दस्तावेजों के अभाव में वे योजनाओं के योग्य होने के बावजूद उनके द्वारा कागजी कार्यवाही पूरा नही कर पाने के कारण लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसका कारण जिला तथा ब्लाक स्तर पर अधिकारियों द्वारा समय पर पात्रता से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्रदान न करना है।

सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ कि कई अनुसूचित जाति के परिवारों को योजनाओं के बारे में जानकारी ही नहीं है, उनका कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा बैठकों में भाग लेने के बावजूद उनको योजनाओं के बारे में जानकारी नही दी जाती है। शिक्षित और जागरूक लोग प्रायः यह फायदा लेते हैं।

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि कल्याणकारी योजनाओं से प्राप्त धनराशि बहुत कम होने के कारण अधिकांश परिवारों का यह कहना है कि उससे वर्तमान में महंगाई के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

सुझाव :

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिये संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं की सफलता हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं। सरकारी कार्यक्रमों के विषय में जानकारी का अभाव जनपद में पाया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारी ग्रामों में बैठके करके सूचना का प्रचार प्रसार करें तो सफलता एवं लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता हैं।

अनुसूचित जातियों में आज भी शिक्षा की कमी है, अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। अतः सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, उनका क्रियान्वयन एवं कागजी कार्यवाही सरल की जाये जिससे आम लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु जो परिवार अपने बच्चों को निर्धनता के कारण आगे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनके लिये ऐसी तकनीकी ज्ञान से युक्त योजनाओं तथा कार्यक्रमों को संचालित किया जाय कि उनकी दक्षता के साथ आय बढ़ाई जा सके तथा मार्ग में बाधाएँ दूर हो सके।

अनुसूचित जाति में जिन लोगों को बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिये विशेष शिविर लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जिससे वे भी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

जनपद की प्रशासन सम्बन्धी लचर व्यवस्था को जनसहभागिता के माध्यम से दूर करके सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है। जनपद में सिर्फ सरकारी प्रयासों के माध्यम से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत या संस्थागत प्रयासों के माध्यम से भी कल्याणकारी योजनाओं के लिये अनुसूचित जाति को जागरूक किया जा सकता है।

अटल आवासों की घटिया गुणवत्ता तथा कार्य में ठेकेदारों का प्रवेश एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, निरंकुशता ने अनुसूचित जाति को निराश किया है। अतः इस दिशा में प्रशासन और शासन–स्तर पर सतर्कता और दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर योजनाओं की सफलता को बढाया जा सकता है।

योजनाओं से सम्बन्धित विशेषज्ञों को जो उनके कार्यान्वयन को अधिक सरल बना सकते हैं, इसमें जोड़ना चाहिए जबकि इससे सम्बन्धित कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय नितांत असफल रहा है। समय समय पर क्रियान्वयन हेतु एक ऐसी मॉनिटरिंग एजेन्सी गठित किया जाना श्रेष्कर होगा जिसमें मानवशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, एन.जी.ओ. तथा निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये जो कार्यक्रमों का नियोजन एवं पर्यवेक्षण करें।

कल्याणकारी योजनाओं में गतिशीलता एवं पारदर्शिता तभी लाई जा सकती है, जबकि विकासखण्ड स्तर पर इन योजनाओं के सफल संचालन हेतु दक्ष, कर्त्तव्यनिष्ठ व ईमानदार कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जाय।

कल्याणकारी योजनाओं का सफल संचालन हेतु योजनाओं का नियमित मूल्यांकन एवं जाँच स्वतंत्र एजेन्सियों से कराई जाये, ताकि इन कार्यक्रमों से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो सके।

जागरूक करने के लिए वर्तमान में गाँवों में कार्यरत् आँगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो सके।

कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित धनराशि को महंगाई के अनुसार संशोधित करते रहना चाहिए। जिससे लाभार्थियों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके।

इन्हीं सुझावों एवं निष्कर्षों के साथ यह भी अपेक्षा है कि अनुसूचित जातियां अथवा जनजातियां अपना सक्रिय सकारात्मक सहयोग बढ़ाने, सक्रियता एवं जागरूकता से कार्य को अधिक आसान एवं शीघ्र पूरा किया जा सकता है। शिक्षा हेतु अपनी जिज्ञासा बढ़ावें जो भी साधन उपलब्ध हो उनका पूरा लाभ उठाकर योग्यता को जुटाने का प्रयास करें जिससे उनकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त किया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1 चतुर्वेदी एवं चतुर्वेदी व चन्द्र डॉ. महेश एवं चन्द्र मिथिलेश, आर्थिक चिन्तन का इतिहास, साहित्य भवन, अग्रवाल पब्लि0, आगरा, पृ0 374।

2 चौधरी डॉ0 निशा (2010) : सोशियल वेलफेयर एण्ड कॉम्यूनिटी डेवल्पमेंट, मुरारी लाल एण्ड सन्स, पब्लि0, न्यू दिल्ली, पृ0 1।

3 जनपद बागेश्वर के समाज कल्याण विभाग के अभिलेखों से प्राप्त सूचनाऐं 2013।

4 प्राथमिक सर्वे वर्ष 2014 पर आधारित।

5 भारत सरकार ड्राफ्ट सातवी पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम 2 (1974) पृ0 274–275।

6 भारत सरकार ड्राफ्ट आठवी पंचवर्षीय योजना, वॉल्यूम 2 पृ0 470।

7 रोशन एवं सिन्हा, राकेश कुमार एवं अमित निरंजन (2012) : यूजीसी नेट/जेआरएफ/स्लेट अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र द्वितीय एवं तृतीय, अरिहन्त पब्लि0, पृ0 513–514।

8 शर्मा प्रभुदत्त, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ0 391।